

# न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/137/2021

रजू दिनांक: 01.09.2021

रजि0 न0 2021/266

अपीलार्थी:-

श्री गौरीशंकर मालू पुत्र श्री रामप्रसादजी  
मालू, निवासी-नरायना, जिला जयपुर  
303348 (राजस्थान)

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0  
जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 18.10.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 10.06.2021 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 12.10.2021 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2021/1937 दिनांक 14.10.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित करते हुए जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है, कि संबंधित अनुभाग, प्रभारी अधिकारी, राजस्व प्रकोष्ठ, कलेक्टर, अलवर के पत्रांक आरटीआई/राजस्व/21/3148 दिनांक 21.07.2021 के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यालय के पत्रांक 1331 दिनांक 23.07.2021 के द्वारा प्रेषित सूचना/विनिश्चय पर अपीलार्थी द्वारा आक्षेप व्यक्त किया है। उक्त आक्षेप के कम में संबंधित अनुभाग से पुनः सूचना संकलित/जवाब प्राप्त कर जवाब की प्रति अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलांत अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
6. निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(नन्नुमल पहाड़िया)

जिला कलेक्टर, अलवर  
जिला कलेक्टर, अलवर